

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(18)नविवि/नियम/2021

जयपुर, दिनांक : 29 DEC 2021

अधिसूचना

“सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना (SSIP) 2021 के तहत कार्य करने वाली पात्र अलाभकारी संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य एवं उनकी विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर विभागीय आज्ञा क्रमांक प.17(9)नविवि/नियम/2019 दिनांक 22.07.2019 में प्रदत्त छूटों के साथ ही विकास शुल्क एवं वीएसयूपी शॅल्टर फंड राशि से भी उक्त संस्थाओं को मुक्त रखे जाने की छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुंजी लाल मीना)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
9. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
11. आयुक्त, उद्योग विभाग जयपुर।
12. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
13. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
14. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
16. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
17. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
18. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

(मन्दीरा शायल)  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम